रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33004/96 REGD. NO. D.L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 134] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 1996/चैत्र 9, 1918
No. 134] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 1996/CHAITRA 9, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1996

सा. का. नि. 162(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज परिदान) प्रथम विनियम, 1996 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा० सं० पी० आर०-12016/30/95-पी० ई० I]
के० आर० भाटी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज परिदान) विनियम, 1994 के विनियम 8 का संशोधन

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता पत्तन का न्यासी मंडल कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज परिदान) विनियम, 1994 में संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :

संक्षिप्त नाम :

1. इन विनियमों को कलकत्ता पत्तन न्यास (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज परिदान), प्रथम संशोधन विनियम, 1996 कहा जा सकेगा ।

2. सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह लागू माना जाएगा ।

3. कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज परिदान) विनियम, 1994 में—

विनियम 8 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"अग्रिम का वह प्रयोजन, जिसके लिए ब्याज परिदान देय हो—वित्त संस्थाओं से कर्मचारियों द्वारा लिए गए अग्रिम हेतु ब्याज परिदान निम्नलिखित

प्रयोजन से दिया जाएगा :—

(i) नव गृह निर्माण हेतु (इस उद्देश्य से भू-खंड प्राप्त किया जाना भी शामिल) या तो कार्य स्थल पर हो या सेवा-निवृत्त होने के बाद इस पत्तन का कर्मचारी जहां भी निवास करना चाहता हो, वहां पर ।

(ii) संबंधित कर्मचारी द्वारा अपने (या केवल अपने पति/पत्नी के साथ जिस गृह का संयुक्त रूप से स्वामी हो) वर्तमान गृह में आवासीय स्थान में वृद्धि कराने के लिए । वह गृह या तो उसके कार्य स्थल पर हो या सेवा निवृत्त होने के बाद इस पत्तन का कर्मचारी जहां भी निवास करना चाहता हो, वहां पर हो।

(iii) कर्मचारी के कार्यस्थल पर या सेवा निवृत्त होने के बाद इस पत्तन का कर्मचारी जहां भी निवास करना चाहता हो, वहां पर निर्मित मकान या फ्लैट की खरीद पर ।"

टिप्पणी :—मुख्य विनियम भारत सरकार के राजपत्र में जी॰ एस॰ आर॰ संख्या 554 (अ) दिनांक 27/29-6-94 को प्रकाशित हो चुकी है।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1996

G.S.R. 162(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124 read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Cenrtral Government hereby approves the Calcutta Port Trust Employees (Interest Subsidy on House Building Advance) First Amendment Regulations, 1996 made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12016/30/95-PE. I]
K. R. BHATI, Jt. Secy.

SCHEDULE

Amendment to Regulation 8 of the Calcutta Port Trust Employees' (Interest Subsidy on House Building Advance) Regulations, 1994

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and with the sanction of Central Government under Sub-section (1) of Section 124 of that Act, the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby makes the following regulations to amend the Calcutta Port Trust Employees' (Interest Subsidy on House Building Advance) Regulations, 1994.

Short Title :

1. These Regulations may be called the Calcutta Port Trust Employees' (Interest Subsidy on House Building Advance) First Amendment Regulations, 1996.

2. This will come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

3. In the Calcutta Port Trust Employees' (Interest Subsidy on House Building Advance) Regulations, 1994 :—

Regulations 8 shall be substituted by the following :—

"Purpose of advance for which interest subsidy is payable—Interest subsidy will be granted for Advance taken by the employees from Financial Institutions for the following purpose :-

(i) constructing a new house (including acquisition of a plot of land for the purpose) either at the place of duty or at the place where the employee of this Port proposes to settle after retirement.

(ii) enlarging living accommodation in an existing house owned by the employee concerned (or jointly owned with his/her wife/husband only) either at the place of duty or at a place where the employee of this Port proposes to settle after retirement.

(iii) purchase of a ready-built house or flat either at the place of duty or at a place where the employee of this Port proposes to settle after retirement."

Foot Note :—The principal regulations were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 554(E) dated 27/29-6-94.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996